



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24092022-239058  
CG-DL-W-24092022-239058

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 24—सितम्बर 30, 2022 (आश्विन 2, 1944)  
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 24—SEPTEMBER 30, 2022 (ASVINA 2, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ सं. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ सं. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                      | 915       | छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                    | 821       | भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... | *         |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *         |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                            | 3025      | भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                      | 7691      |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *         | भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *         | भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *         |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *         | भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325       |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....                                                                                                                      | *         | भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2615      |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... | *         | भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *         |

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Page<br>No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Page<br>No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                        | 915         | (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                       | 821         | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... | *           |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....                                                                                                                                                                             | 1           | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *           |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....                                                                                                                                                        | 3025        | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....                                                                                                                                                                                 | 7691        |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....                                                                                                                                                                                                                                            | *           | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *           |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....                                                                                                                                                                                                | *           | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....                                                                                                                                                                                                                         | *           | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 325         |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... | *           | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2615        |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India                                                                                                                                                                          |             | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |

\*Folios not received.

**भाग I—खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितंबर 2022

शुद्धि-पत्र

सं. 287-प्रेस/2022—भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड 1 में दिनांक 23 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की स्वतंत्रता दिवस, 2021 के अवसर पर कारागार कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक से सम्बद्धित दिनांक 15 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या 178-प्रेस/2021 के हिन्दी संस्करण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

श्री ए. लोकेसोर सिंह — के स्थान पर

श्री ए. लोकेसोर सिंह — पढ़ा जाये

एस.एम. समी  
अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2022

विषय: खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के सम्बन्ध में अपेक्षित चावल हेतु खरीद के लक्ष्य।

अधिसूचना/आदेश सं.3(8)/2022-नीति -1/2022-23—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि विशेष रूप से भारत के शहरी और ग्रामीण गरीबों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी गई फसलों के लिए खरीद संबंधी लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक और समीचीन है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, समय समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 22 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के पैरा 2 (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खरीफ विपणन मौसम 2022-23 हेतु चावल के संबंध में खरीद लक्ष्य अधिसूचित करती है :—

| फसल  | खरीद का लक्ष्य ( आंकड़े मीट्रिक टन में) |
|------|-----------------------------------------|
| चावल | 5,18,00,000                             |

राज्य सरकारों के साथ परामर्श द्वारा उपर्युक्त खरीद अनुमान निर्धारित किए जाते हैं। वास्तविक खरीद, प्रचलित स्थिति और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुसार अनुमानित मात्रा से कम अथवा अधिक हो सकती है।

सुबोध कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2022

सं. 1/3/2019-पीडी—इस कार्यालय की दिनांक 02.03.2020 की समसंख्यक अधिसूचना, जिसके द्वारा सीएसआईआर की शासी निकाय का पुनर्गठन दिनांक 02 मार्च, 2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, के अनुक्रम में सामान्य सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र जे. जाधव, पूर्व निदेशक, सीएसआईआर- राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, (एन.ए.एल.) बेंगलुरु में कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप अब वह सीएसआईआर की शासी निकाय की सदस्य नहीं है। तदनुसार, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने सीएसआईआर के अध्यक्ष की हैसियत से सीएसआईआर के नियम एवं विनियमों के नियम 29 (iii) के अनुसार 'दो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों' की श्रेणी के अंतर्गत सीएसआईआर की शासी निकाय की शेष अवधि, जोकि दिनांक 01.03.2023 तक है, के लिए डॉ. डी. श्रीनिवास रेड्डी, निदेशक, सीएसआईआर- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई. सी. टी.) हैदराबाद को श्री जितेन्द्र जे. जाधव के स्थान पर सदस्य के रूप में नामित करने का अनुमोदन प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 23.08.2022 के आई डी संख्या 5519158/PMO/2022-HR द्वारा प्रदान किया है।

महेंद्र कुमार गुप्ता  
संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा  
परिषद की शासी निकाय के सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION  
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 20th September 2022

Subject—Procurement targets for rice required in connection with public stockholding for food security purposes.

Notification/order No: 3 (8)/2022-Py.I /2022-23—Whereas, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient to set procurement targets for crops procured at Minimum Support Price (MSP) in connection with public stockholding for food security purposes, especially for meeting the food requirements of urban and rural poor in India.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by para 2(c) & (d) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 read with section 22 of the National Food Security Act 2013, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the following procurement targets in respect of rice for the Kharif Marketing Season (KMS) 2022-23 as follows:—

| Crop | Procurement target (Figures in Metric Ton) |
|------|--------------------------------------------|
| Rice | 5,18,00,000                                |

The above procurement estimates are finalised in consultation with the State Governments. The actual procurement may be less or more than this estimated quantity depending upon the prevailing situation and the need to ensure food security.

SUBODH KUMAR SINGH  
Joint Secretary

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 25th August 2022

No. 1/3/2019-PD—In continuation to this Office Notification of even number dated 02.03.2020, reconstituting the Governing Body of CSIR for a period of three years with effect from 02nd March, 2020, it is notified for general information that consequent upon the completion of the tenure of Shri Jitendra J. Jadhav, former Director, CSIR- National Aerospace Laboratories, Bengaluru, he ceases to be the member of the Governing Body of CSIR. Further, the Hon'ble Prime Minister of India, in his capacity as President, CSIR has approved the nomination of Dr. D. Srinivasa Reddy, Director, CSIR- Indian Institute of Chemical Technology (CSIR- IICT), Hyderabad in place of Shri Jitendra J. Jadhav, as a member of Governing Body of CSIR under the category of 'Directors of two National Laboratories' under Rule 29 (iii) of CSIR Rules & Regulations for the remaining tenure of the present Governing Body of CSIR, i.e. upto 01.03.2023 vide PMO ID No. 5519158/PMO/2022-HR dated 23.08.2022.

MAHENDRA KUMAR GUPTA  
Joint Secretary (Administration)  
Council of Scientific & Industrial Research and  
Secretary, Governing Body, CSIR